

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : ~~37~~ / 2018 (17/2018)

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 22.02.18

निर्णय दिनांक :

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

पांची देवी पत्नि कालूराम

कुचामन सिटी

जाति कुमावत नि. कुचामन सिटी

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पांची देवी पत्नि कालूराम जाति कुमावत नि. कुचामन सिटी ने कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2342 कुल रकबा 156.97 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारडा में से रकबा 1.2396 हैक्टर भूमि पर सम्मत 2075 में अनाधिकृत रूप से डोल लगा कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटीस की प्रति बंशीलाल ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।


अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2342 कुल रकबा 156.97 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारडा में से रकबा 1.2396 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 6.20 रु का पच्चास गुणा से राशि रु0 310/- अक्षरे तीन सौ दस रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।


तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल
कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे । आरोपित शारिफ
की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे ।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/6/19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी
कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(महदौर पसार शर्मा)
तहसीलदार, कल्याण सिटी
जिला नागौर
जिला नागौर -राज0